भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †5843

सोमवार, 30 मार्च, 2026/9 चैत्र, 1948 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

एसएएससीआई के अंतर्गत गंडिकोटा में किले और घाटी के पर्यटन-अनुभव को बेहतर बनाना

†5843. श्री वाई. एस. अविनाश रेड्डी:

क्या **पर्यटन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूंजी निवेश के लिए राज्यों को विशेष सहायता (एसएएससीआई) योजना के अंतर्गत गंडिकोटा में किले और घाटी के पर्यटन-अनुभव को बेहतर बनाने के लिए 77.91 करोड़ रुपये की राशि संस्वीकृत की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके कार्यान्वयन में क्या प्रगति हुई है;

(ग) क्या सरकार के पास वोंटिमिट्टा कोडंडारामा स्वामी मंदिर, श्री लक्ष्मी वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर और वीरभद्र स्वामी मंदिर के विकास को तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक विरासत संवर्धन अभियान (प्रसाद) योजना के अंतर्गत शामिल करने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) से (घ): भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान 'राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता (एसएएससीआई)' नामक योजना के तहत 'गंडिकोटा में फोर्ट एवं गॉर्ज एक्सपीरियंस का संवर्धन' नामक परियोजना को शुरू करने के लिए 77.91 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की। आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को 51.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गई थी। एसएएससीआई योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं को संबंधित राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य सरकार द्वारा कार्यक्रम प्रबंधन सूचना प्रणाली पर दी गई जानकारी के अनुसार यह परियोजना 49 प्रतिशत से अधिक की भौतिक प्रगति प्राप्त कर चुकी है।

यद्यपि विभिन्न पर्यटक स्थलों का विकास मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों द्वारा किया जाता है, परंतु पर्यटन मंत्रालय 'तीर्थस्थल कायाकल्प एवं आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान (प्रशाद)' सहित गंतव्य विकास से संबंधित अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत इन प्रयासों को संपूरित करने के लिए उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है। प्रशाद योजना के तहत राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से विचारार्थ परियोजना प्रस्ताव प्राप्त करना एक निरंतर प्रक्रिया का हिस्सा है। निर्धारित दिशानिर्देशों के संदर्भ में प्राप्त प्रस्तावों की जांच की जाती है और निर्दिष्ट शर्तों की पूर्ति, योजना के जारी रहने एवं निधियों की उपलब्धता की शर्त पर ऐसी परियोजनाओं के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

*****